

Ref: 557 /SDSUV/RO/ 2017-18

Date: 07/05/2017

**कार्यालय ज्ञाप**

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम- 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय- 6 की धारा- 33(1) के अधीन निम्न संस्थान को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवाधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:-

| क्रम संख्या | संस्थान/महाविद्यालय का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम   | प्रवेश क्षमता  | अस्थाई सम्बद्धता की अवधि   | अभ्युक्ति  |
|-------------|--|--|--|----------------------------|--|
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6  |
| 1           | उत्तरांचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुभारतीपुर, कोटला सतौर, जानकवाला रोड, पो0आ0- चन्दनवाड़ी, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।          | एम0ए0 (शिक्षा शास्त्र)   | 50 सीट   | शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु | कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक-4911/जी0एस0/शिक्षा/A11-147/2016, दिनांक-7 मार्च, 2017   |
| 2           | उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड टूरिज्म, अपेजिट आई0आई0पी0 गेट नं0-2, गढ़ विहार फेज-2, मोहकमपुर, देहरादून। | बी0बी0ए0 (Hotel Management)  | 60 सीट   | शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु | कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक-4912/जी0एस0/शिक्षा/A11-148/2016, दिनांक-7 मार्च, 2017   |
| 3           | हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, ग्राम अस्थल, पो0 आ0- मालदेवता, रायपुर, देहरादून।   | बी0कॉम0<br>बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित)<br>बी0एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)<br>बी0एससी0(बायोटेक्नोलॉजी) | 60 सीट<br>प्रत्येक में 60-60 सीट<br>प्रत्येक में 60-60 सीट<br>40 सीट | शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु | कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक-4913/जी0एस0/शिक्षा/A11-146/2016, दिनांक-7 मार्च, 2017   |
| 4           | इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, 60 चकराता रोड, देहरादून।   | बी0कॉम0  | 60 सीट   | शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु | कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक-4914/जी0एस0/शिक्षा/A11-64(1)/2016, दिनांक-7 मार्च, 2017 |

- सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम अवस्थापना सविधायें, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फ़ैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फ़ैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फ़ैकल्टी की अद्यतन फोटों सहित फ़ैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय शासन एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है, तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फ़ैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फ़ैकल्टी नहीं पायी जाती है अथवा अभिलेखों में दसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के मापेक्ष तत्त संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को

(दिनेश चन्द्र)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलाधिपति, राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
5. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव / वित्त अधिकारी / प्रभारी परीक्षा।
7. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्र)

कुलसचिव

कुलसचिव, कुलसचिव